Title: Regarding accident to Alliance Air Boeing 737 aircraft at Patna on July 17, 2000.

1204 बजे

नागर विमानन मंत्री (श्री शरद यादव) : अध्यक्ष महोदय, दूसरे सदन में मेरा अंतिम सवाल था, मैं उसका जवाब दे रहा था। मुझे बहुत खेद है कि मैं इस सदन में विलम्ब से पहुंचा हूं और मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से माफी चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं गहरे दुख और वेदना के साथ इस हादसे के बारे में माननीय सदन को सूचित कर रहा हूं।

कलकत्ता-पटना-लखनऊ-दिल्ली सैक्टर पर एलाइंस एयर की उडान सी डी-7412 का बोइंग-737 विमान दिनांक 17 जुलाई, 2000 को लगभग 7.35 बजे प्रात: पटना हवाई अड्डे के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया।

इस विमान ने कैप्टन एम.एस. सोहनपाल के कमाण्ड में सुबह 6.51 बजे कलकत्ता से उडान भरी। विमान में कुल 52 यात्री और छ: कर्मीदल सवार थे। पटना हवाई अड्डे के करीब पहुंचने तक उडान सामान्य थी। प्रात: 7.31 बजे पटना ए.टी.सी. ने विमान को 1700 फीट तक नीचे आने की अनुमति दी। इसके बाद विमान चालक ने रिपोर्ट किया कि वे एक चक्कर लगाना चाहते हैं। इसकी अनुमति ए.टी.सी. ने दे दी और पूछा कि क्या हवाई अड्डा दिखाई दे रहा था, जिसकी पुष्टि पायलट ने की। इसी चक्कर लगाने की प्रक्रिया में विमान नीचे आ गया तथा पेडों और मकानों से टकराते हुए रन-वे के टच डाउन क्षेत्र से लगभग एक किलोमीटर दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में केवल छ: यात्री ही बच पाए और 46 यात्रियों तथा छ: कर्मीदल के सदस्यों की मृत्यु हो गई। दुर्घटनाग्रस्त विमान के गिरने के कारण वहां मौजूद पांच व्यक्ति भी मारे गए तथा अन्य पांच घायल हो गए।

दुर्घटना का समाचार पाते ही मैं और डा. सी.पी. ठाकुर, स्वास्थ्य मंत्री, डी.जी.सी.ए., इंडियन एयरलाइंस के सी.एम.डी., एलाइंस एयर के एम.डी., एयरपोर्ट्स अथोरिटी के अध्यक्ष तथा अन्य वरिठ अधिकारियों के साथ सभी संभव कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा राहत कार्यों के निरीक्षण के लिए तुरन्त पटना के लिए रवाना हो गए।

परिवार-जनों को सभी प्रकार की सहायता तथा सूचना प्रदान करने के लिए कलकत्ता, पटना, लखनऊ तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर वरिठ अधिकारियों द्वारा संचालित नियंत्रण-कक्ष तुरंत स्थापित किए गए। उस दुर्भाग्यपूर्ण विमान में सवार सभी यात्रियों के परिवार-जनों को तुरंत सूचित किया गया। यात्रियों तथा कर्मीदल के परिवार-जनों के साथ-साथ डॉक्टरों व डी.जी.सी.ए. और इंडियन एयरलाइंस आदि के अधिकारियों को ले जाने के लिए कलकत्ता तथा दिल्ली से राहत उडाने भी शुरू कर दी गईं।

बचाव तथा राहत कार्य तुरंत आरम्भ किए गए। घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार के सहयोग से तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई तथा पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया। तत्पश्चात छ: घायल यात्रियों को दिल्ली लाया गया और अपोलो अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक यात्री को कलकत्ता के बेले व्यू नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। इंडियन एयरलाइंस द्वारा अपने खर्चे पर सभी घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। दुर्भाग्यवश श्री रोहित रंजन, जिनको सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, को बचाया नहीं जा सका और उनकी 22 जुलाई को मृत्यु हो गई।

इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के शवों को दुर्घटना-स्थल से निकाल लिया गया। इंडियन एयरलाइंस तथा स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतकों की महचान तथा शवों को ले जाने के लिए आवश्यक व्यवस्था की गई। साथ ही 12 वर्ा से अधिक उम्र के प्रत्येक मृत यात्री के निकटतम रिश्तेदार को 7.50 लाख रुपए तथा 12 वर्ा से कम उम्र के प्रत्येक मृत यात्री के निकटतम रिश्तेदार को 3.75 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसी प्रकार प्रत्येक घायल यात्री को 1.50 लाख रुपए दिए जाएंगे। दुर्घटना के कारण घायल हुए या मारे गए अन्य स्थानीय व्यक्तियों को भी इतनी ही धनराशि का भुगतान किया जाएगा एवं उनकी सम्पत्ति को हुए नुक्सान के लिए भी उपयुक्त भुगतान किया जाएगा।

विमान के कमाण्डर कैप्टन सोहनपाल एक अनुभवी विमान चालक थे, जिनको 4361 घंटे का उडान अनुभव था। इसी प्रकार सह-विमान चालक, ए.एस. बग्गा एक अनुभवी विमान चालक थे, जिनको कुल 4085 घंटे का उडान अनुभव था।

यह दुर्भाग्यपूर्ण विमान जून, 1980 में निर्मित किया गया था। विमान के रख-रखाव के लिए निर्धारित सभी कार्यवाही समयबद्ध तरीके से बराबर की जा रही थी जिसके अंतर्गत अनुसूची के अनुसार अन्य कार्यों के साथ-साथ विमान के 20 साल बाद किए जाने वाले एर्जिंग-मोडिफिकेशन, मरम्मत आदि चैक भी 29 जनवरी, 2000 को कर लिए गए थे। कलकत्ता से उड़ान आरम्भ करने के समय विमान में किसी खराबी की सूचना नहीं थी।

इस दुर्भाग्यपूर्ण विमान के ब्लैक बॉक्स प्राप्त कर लिए गए हैं। एटीसी टेप, एटीसी यूनिट एवं सेफ्टी सेवाओं के लॉग बुक तथा विमान अनुरक्षण रिकार्ड भी प्राप्त कर लिए गए हैं।

दुर्घटना के तुरंत बाद, डी.जी.सी.ए. ने जांच आरम्भ करने के लिए एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 71 के अधीन श्री पी.शॉ, क्षेत्रीय नियंत्रक विमान सुरक्षा, कलकत्ता को दुर्घटना के निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया। दुर्घटना की गंभीरता तथा मारे गए लोगों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित करने का निर्णय लिया है तथा तदनुसार पटना उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश से एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 75 के अधीन जांच करने के लिए एक वर्तमान न्यायाधीश नामित करने का अनुरोध किया गया है।

अंत में, मैं माननीय सदन की ओर से शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति हार्दिक संवेदना तथा गहरी सहानुभूति प्रकट करना चाहूंगा और इस हादसे पर अपने आपको दुखी और व्यथित मानता हूं तथा क्षमा चाहता हूं।

MR. SPEAKER: Now, Item No. 6 – Dr. Murli Manohar Joshi.

...(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Members, please take your seats. After the statement by the Minister, there is no provision to ask questions on it.

...(*Interruptions*)

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, कई ऐसे बिंदू हैं जिन पर प्रश्नचिन्ह हैं और कई मैम्बरान इस दुर्घटना पर कुछ चर्चा करना चाहते हैं जिससे उन प्रश्नचिन्हों का जवाब मिले। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले पर कोई चर्चा हो और अगर तत्काल समय न हो तो कार्यक्रम में इसको सम्मलित किया जाये और इस मामले पर भी चर्चा के लिए कुछ समय दिया जाए।â€¦(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष जी, पाटलट मर गया है और उस पर एफ.आई.आर. दर्ज कराई जा रही है, यह बड़ा ही अमाननीय कार्य है। â€¦(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have called the Minister of Parliamentary Affairs. Hon. Members please take your seats.

...(*Interruptions*)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम सभी इससे चिंतित हैं। मुझे लगता है कि दो-तीन लोगों के प्रश्न पूछने के स्थान पर यदि उचित नियम के अनुसार इस पर चर्चा करेंगे तो सभी सदस्य इसमें सहभागी हो सकते हैं। आप तय करें, सरकार की तरफ से चर्चा के लिए कोई आपत्ति नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (BOLPUR): Sir, about this air crash accident, different statements have been coming in even during the inquiry which is going on. That is creating confusion....(*Interruptions*)â€¦ So many authorities including the Minister are giving their verdict about this accident, about the condition of the pilot, etc. Those things should stop immediately....(*Interruptions*)

श्री मदन लाल खुराना : सर, मेरी रिक्वैस्ट है कि पायलट के खिलाफ जो एफ.आई.आर. कराई है, वह अमानवीय है।

अध्यक्ष महोदय : इसमें चर्चा के लिए समय देंगे।